



संशोधन-आदेश

संख्या-22/2026/1-1237624/सा0-62/38-2-2026

38-2002-099-120-2019

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2026

विषय:- जनपद-गोण्डा में विकास भवन हेतु फायर हाईड्रेण्ट एवं फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-20/2026/1-1235298/सा0-59/38-2-2025-001-38-2002-099-120-2019, दिनांक 11 फरवरी, 2026 द्वारा जनपद-गोण्डा में विकास भवन हेतु फायर हाईड्रेण्ट एवं फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु चौथी/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रु0 17.47 लाख (रूपये सत्रह लाख सैतालीस हजार मात्र) की स्वीकृति शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश धनराशि रु0 17.47 लाख (रूपये सत्रह लाख सैतालीस हजार मात्र) अंकित हो गयी है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-20/2026/1-1235298/सा0-59/38-2-2025-001-38-2002-099-120-2019, दिनांक 11 फरवरी, 2026 के प्रस्तर-2 में अंकित जनपद-गोण्डा में विकास भवन हेतु फायर हाईड्रेण्ट एवं फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु निर्गत चौथी/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रु0 17.47 लाख (रूपये सत्रह लाख सैतालीस हजार मात्र) के स्थान पर जनपद-गोण्डा में विकास भवन हेतु फायर हाईड्रेण्ट एवं फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु निर्गत चौथी/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रु0 17.87 लाख (रूपये सत्रह लाख सत्तासी हजार मात्र) पढ़ा एवं समझा जाय।

3- शासनादेश संख्या-20/2026/1-1235298/सा0-59/38-2-2025-001-38-2002-099-120-2019, दिनांक 11 फरवरी, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शासनादेश में अंकित नियम व शर्तें/प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-22/2026/1-1237624/सा0-62/38-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- जिलाधिकारी, गोण्डा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
- 7- कोषाधिकारी, गोण्डा।
- 8- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
- 10- अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत/यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग, अयोध्या (फैजाबाद)।
- 11- ग्राम्य विकास अनुभाग-5
- 12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।